राजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/95

REGD. NO. D.L.-.33004/95





असाधारए। EXTRAORDINARY

भाग III-323 4 PART III-Section 4

प्रतिपकार दे प्रचाहित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 39] नई थिल्लो, मंगलवार, अगस्त 29, 1995/माता 7, 1917\_ No. 39] NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 29, 1995/BHADRA 7, 1917

### भारतीय पश्चिकित्सा परिषद्

## जबिनुवना

### नई दिल्ली, 22 ग्रगस्त, 1995

सं. 12-2/34-VCI/17092.—भारतीय पशृचिकित्सा परिषद केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के भारतीय पशुचिकित्सा परिषद यधिनियम, 1984 (1984 का 54) की धारा 66 की उप झारा (2) के खंड (क) के नाथ पठित उप धारा (i) द्वारा प्रवत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती ह, अर्थात् :---

 संक्षिप्त नाम ग्रीर प्रारंभ :--- (1) इन विवियनों को भारतीय पशुचिकित्सा परिषद (ग्रब्यक्ष ग्रीर ज्याध्यक्ष का चुनाव) विनियम, 1995 कहा जाएना ।

(2) ये विनियम राजपत्न में उनके प्रकाशन का नालाय से प्रवृत्त होंगे।

2. परिमाषाएं:---इन विनियमां में, जब तक जन्द्रमें स अन्यथा अपेक्षित न हा----

 (ग) "अवितियत्र" का अर्थ है भारतीय गगुविकित्सा परिपद अश्वितियम, 1984 (1984 का 52)। (ख) "परिषद" का ग्रयं है भारतीय पशुचिकित्सा परिषद।

- (ग) "फार्म" का अर्थ है इन विनियमों के साथ अनुवद्ध फार्म ।
- (घ) "सदस्य,' का अर्थ है परिषद का सदस्य।
- (ङ) "अव्यक" का अर्थ है परिषद का अध्यल ।
- (च) "रिटर्निंग अधिकारी" का अर्थ है इन विनियमों के प्रयोजन के लिए परिपद के सचित्र।
- (छ) "जपाध्यक्ष" का अर्थ है परिषद के उपाध्यक्षा

 अध्यक्त का चुनाव (1) परिपद् के अध्यक्ष का चुनाव, चुनाव के समय उपस्थित तदस्यों द्वारा अपने हो वोव में उपस्पित सुदस्यों में से किया जाएगा।

(2) परिषद् का सचिव, जो इस प्रयोजन के लिए रिटनिंग अधिकारी के कार्यों का निष्पादन भो करेता, परिषद् के प्रत्येक सदस्य को चुनाव को तारीख, समय और स्थाग की लूचना देगा ।

2113 31/95

(1)

## THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY

(3) (1) ग्राध्यक्ष के पद के चुनाव के लिए कोई
भी उपस्थित सदस्य किसी दूसरे उपस्थित तदस्य के नाम
का प्रस्ताव करने का हकदार होगा।

(ii) प्रस्ताव का समर्थन, प्रंस्तावक अथवा जिस व्यक्ति के नाम का प्रस्ताव किया गया है, उन्हें छोड़कर किसी अन्य सदस्य द्वारा किया जाना अपेक्षित होगा।

परन्तु यह कि एक सदस्य केवल एक सदस्य के नाम का प्रस्ताव अथवा समर्थन करने का हकदार होगा।

(4) कोई भी उम्मीदवार डास्तविक चुनाव से पहले अपना नाम वापस ले सकता है।

(5) यदि केवल एक ही उम्मीदवार के नाम का ययोचित रूप से प्रस्ताव तथा समयने किया जाता है तो रिटर्निंग अधिकारी, ऐसे उम्मीदवार के संबंध में उसकी ययोंचित रूप से निर्वाचित किए जाने की घोषणा तुरन्त ही फार्म "ख" में करेगा।

(6) यदि एक से म्रधिक उम्मीदवारों के नाम को प्रस्ताव तथा समर्थन किया जाता है तो उस स्थिति में ग्रब्धक का चुनाव गोपनीय मतदान द्वारा किया जाएगा।

(7) चुनाव प्रारंभ करने से पहले, रिटनिंग अधिकारी मत पेटी की जांच करने के लिए सदस्यों, यदि ये ऐसा चाहे, को आमंत्रित करेगा और तत्पश्चात् वह मत-पेटी को ताला बन्द कर देगा।

(8) (i) दास्तविक चुनाव के समय, बैठक में उपस्थित सभी सदस्य वर्णानुकम में तैयार की गई तूची में एक-एक करके अपने नाम के सामने हस्ताक्षर करेंगे। यह सूची मतपेटी के समीप रखी हुई होती है।

(ii) उपरोक्त सूची में सदस्य के नाम के सामने उसके हस्ताक्षर होने के बाद, उसे फार्म "क" में मतपत्न दिया जाएगा। इसके बाद सदस्य इस मतपत्न पर अपनी इच्छा के अनुसार उम्मीदवार के नाम के सामने कास (×) का निणान जगाकर उसे मतपेटी में डाल देगा।

(9) जैसे ही सभी सदस्य और मत देने के इच्छुक सदस्य अपने-अपने मत दे दें, वैसे ही रिटर्निंग ग्रधिकारी उन उम्मीदवारों के सम्मुख, जो व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहना चाहे, मतपटी खोलेगा और सभी मतपत्नों को मतपेटी से निकालेगा तथा उनकी जांच करेगा और ऐसे किसी भी मतपत्न को अवैध घोषित करके उसे ग्रस्वीकार कर सकता हैं, यदि—

(क) मतपत्र में रिटर्निंग अधिकारी के अस्ताक्षर न हों, जिस्ताक्षर न निवन्त इस नतपत्र के प्राप्त नम् निर्द्शाकर

कर हता है या उसमें एक करा शब्द या निशान वना देता है जिससे यह पता चलता है कि यह उसका मतपत्न है; ग्रथवा [PART III-SEC. 4]

(ग) उसमें कोई मत न दिया गया हों, अथवा

(घ) मतदाता⊶ने मतपत्न में अपना मित इस तरह से अंकित किया हो कि उससे यह स्पञ्च न होता हो कि मत किस उम्मीदवार के पक्ष में दिया गया है; अथवा

(ङ) मत एक से ग्रधिक उम्मीदवारों के पक्ष में दिया गया हो

(10) (i) इसके पश्चात् रिटर्निंग अधिकारी उन उम्मीदवारों के अनुसार वैध मतों को व्यवस्थित करेगा जिनके -मक्ष में मत डाले गए हैं और तत्पश्चात प्रत्येक उम्मीदवार के मतों की पुयक-पूथक हूप से गणना करेगा।

 (ii) मतगणना पूरी हो जाने के बाद, रिटनिंग अधि-कारी प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों के सबंध में
बैठक में घोषणा करेगा।

(iii) रिटर्निंग अधिकारी अधिकतम वैध मत प्राप्त 'करने वाले उम्मीदवार को परिषद् के प्रव्यक्ष के रूप' में यथोचित से रूप निर्वाचित किए जाने की फ़ार्म "ख" में घोपणा करेगा।

(iv) यदि दो अथवा दो से अधिक उम्मीदवार एक समान मत प्राप्त करते हैं और यह संख्या, समान मत प्राप्त करने वाले उन दो उम्मीदवारों के अतिरिज्य किसो अग्य उम्मीदवार द्वारा प्राप्त मतों की संख्या से अधिक हो तो ऐसे उम्मीदवारों के दीच निर्धारण ड्रा के माध्यम से किया जाएगा और जिसके पक्ष में ड्रा निकलेगा उसे निर्वाचित घोषित किया जाएगा ।

4. उपाध्यक्ष का चुनाव: --- उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए विनियम-3 में विनिविष्ठ अश्यक्ष के चुनाव से संबंधित उपवन्ध "आवश्यक शरिवर्तन" सहित लागू होंगे।

सी.के.वासदेव, कार्ययाहक मचिव दिनांक : 21-3-1995

अनुवाद, केन्द्रात अनुवाद ब्युरो, राजमाणा विमाग, गृह नंत्रालय, नई दिल्ली ।

## फार्म "ज्ञ"

# (ग्रध्यक/उपाध्यक्ष का चुनाव)

[कृपया विनियम 3(8) (ii) ग्रार 4 देखें]

मतपत्न

कम	उम्मीदवार का नाम	( × )	) কা	निशान	लगाने	46-
संख्या		लिए मा ज				

\* जा लागू न हो,

उसे काट दिया जाए

रिटर्निंग अधिकारी के हस्तालर

# Scanned by CamScanner

## ·[माग [11--म्यगड 4]

÷

57

F 17

- यनदेश.
- 1. प्रत्येक मतवाता को केवल एक मत देने का ग्रधिकार
  - होगा। -
    - 2. मतदाता जिस उम्मीदवार को ग्रपना मत देना चाहता है उसके नाम के सामने स्पष्ट रूप से ( × ) जा निशान लगाएगा।
  - 1 . 2. 7 फामं "ख"

ग्रब्यक्ष/उपाध्यक्ष का चुनाव

[क्रुपया विनियम 3'का उप विनियम (5) और (10) (iii) और विनियम 4 देखें

....., जो भारतीय पशु-चिकित्सा परिषद् के नदस्य हैं, को भारतीय पशुचिकित्सा परिषद् स्रबिनियम, 1984 को धारा 3 की उप धारा (4) के स्रधीन ययोचित रूप से जक्त परिपद् का अध्यक्ष/उपाध्यक्ष\* निर्वाचित किया गया है। स्थान : रिटर्निंग अधिकारी

ताराख:

"जो लागून हो, उसे काट दिया जाए !

#### VETERINARY COUNCIL OF INDIA -... NOTIFICATION

# New Delhi. the 22nd August, 1995

No. 12-2194-VCI 17092.—In exercise of the powers conferred by sub-section (i) read with clause (a) of sub-section (2) of section 66 of the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984), the Veterinary Coun-cil of India, with previous approvel of the Central Government hereby makes the following regulations, nam. . . . -

I. short-tide and commencement.--(1) These tegulations may be called the Vetermary Council of India (Election of the President and Vice-President) Regulations, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions .- In these regulations, unless the context otherwise requires-

- (a) 'Act' means the Indian Veterinary Council Act, 1984 (52 of 1984);
- (b) 'Council' means the Veterinary Council of India;
- (c) 'Form' means a form annexed :o these regulations:
- ids "dember' machts submber of the Councils
- (c) President' tienns the second of the Council:
- · (f) 'Returning Officer' means the Secretary of the Council for the purpose of these regulations; The states

(g) 'Vice-President' means the Vice-President of the Council.

3. Election of President -

(1) The President of the Council shall be elected. by the members present at the time of election, from amongst themselves.

(2) The date, time and place of the election shall be intimated, to each of the member of the Council by the Secretary of the Council, who shall also perform the functions of the Returning Officer for this purpose.

(3) (i) Any member present shall be entitled to propose the name of any other member present, for election as the President.

(ii) The proposal shall be required to be seconded by a memoer other than the proposer or the one whose name is proposed :

Provided that one member shall be entitled to propose or second only one name.

(4) Any candidate may withdraw his candidature before the actual election.

(5) If the name of only one candidate is duly proposed and seconded, the Returning Officer shall forth with declare. in form 'B', such candidate as duly elected.

(6) If the number of candidates proposed and seconded exceeds one, an election shall be held hy secret ballot.

(7) Before the commencement of the election, the Returning Officer shall invite the members to inspect the ballot box, in case they like to do so, and he shall then lock the ballo; box.

(3) (i) At the time of actual election, the members present in the meeting shall, one by one, sign against their namer in the list containing names of all the members in alphabetical order and placed alongside the ballot box.

(ii) After a member has signed against his name in the list afore-mentioned he shall be given a ballot paper in form 'A' which he shall drop into the ballot box after affixing thereon a cross (x) mark against the name of the candidate of his choice.

(9) As soon as all the Members present and wishing to exercise the right to vote have done so, the Returning Officer shall, in the presence of the candidates who may be present in person, open the ballot box and take out from it all the ballot papers, examine them and reject as invalid any ballot paper-

- (a) if it does not bear the signature it the Returning Officer; or
- (b) if the member signs his name or writes any. word or make any mark on it by which it becomes recognisable as his ballot paper; or
- (c) if no vote is recorded thereon; or
- (d) if the vote is recorded in such a manner as to make it doubtful as to which candidate the vote has been given; or

Scanned by CamScanner

[PART III-SEC. 4

(e) if the vote has been given in favour of more than one candidate.

(10) (i) The Returning Officer shall then proceed to arrange the valid votes according to the candidates in whose favour they have been cast and count them separately for each candidate.

(ii) After the counting is over, the Returning Officer shall make an announcement in the meeting about the votes secured by each of the candidates.

(iii) The Returning Officer shall declare, in form B', the candidate securing the highest number of valid votes as duly elected to be the President of the Council.

(iv) In the event of two or more candidates securing the same number of votes and that number being more than the number of votes secured by any candidate other than the two or more securing the same number of votes, the determination as between such candidates shall be draw of lots and the candidate on whom the lot falls, shall be declared elected.

 Election of Vice-President.—The provisions regarding election of President specified in regulation 3 shall 'mutatismutandis' apply to the election of the Vice-President.

C. K. VASDEV, Acting Secy.

Dated : 21-8-95

FORM 'A' Election of President Vice-President \* [See regulation 3 (8) (ii) and 4] Ballet Paper

S. Nar No.		date Space for affixing (X)
	1	

\*Score out what is inapplicable.

Signature of the Returning Officer

#### Instructions

- 1. Each elector has only one-Vote.
- The elector shall place the mark (X) clearly opposite the name of the candidate of his choice.

#### FORM 'B'

#### Election of President Vice-President \*

[See sub-regulations (5) and (10)(iii) of regulation 3

#### and regulation 4]

I hereby declare that \_\_\_\_\_\_ a member of the Veterinary Council of India, has been duly elected, under sub-section (4) of section 3 of the Indian Veterinary Council Act, 1934 to the office of the President Vice-President \* of the said Council.

Returning Officer

Place\_\_\_\_\_

D	ate	 

Printed by the Manager, Govt. of India Press. Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110054 and Published by the Controllar of Publications, Delhi-110054, 1995

\* Score out what is inapplicable.

4